भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

Serial No. 3963
बिहार BIHAR

M 433889
Deed No. 52

बिहार सरकार
जिला निबंधन कार्यालय, सारण

पृष्ठांकन का सारांश

दिनांक **02/05/2014** को **Rekha Singh** द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसमे रू0 **5000** मुद्रांक शुल्क एवं रू0 **1360** निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया । दस्तावेज ग्राह्य पाया गया । जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निषान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं। इसे दस्तावेज सं0 **52** के रूप में पुस्तक सं0 **4** की जिल्द सं0 **2** के पृष्ठ सं0 **201** से **217** तक **CD 1** में आज निबंधित एवं कुल **17** पृष्ठों में संधारित किया गया ।

दिनांक- **02/05/2014** टोकन नं० 4077/2014

अजय कुमार
निबंधन पदाधिकारी

ट्रस्ट डीड

रामानन्द मेमोरियल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट

यह न्यास पत्र आज दिनांक – **02 मई सन् 2014 ई0** को स्थान– छपरा, सारण (बिहार) के द्वारा **श्रीमती रेखा सिंह,** धर्मपत्नी– श्री संजीव कुमार सिंह, निवासी ग्राम– हरपुर, पत्रालय– हरपुर, थाना– एकमा, जिला– सारण (बिहार) के संस्थापक है, जो कि **ट्रस्ट** के संस्थापक / मुख्य न्यासी के नाम से जानी जाएँगी।

District Registry Office, Saran

Token Number 4077 | Reg. Year 2014 | Serial Number 3963 | Deed Number

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little

Presented By Rekha Singh

Sig. Rekha Singh रेखा सिंह 2/5/2014

Rekha Singh

Photo | Thumb | Index | Middle | Ring | Little

Sig.

Trustee Om Kumar Singh

Sig. ओम कुमार सिंह 02/05/14

Trustee Brajesh Sharan Sharma

Sig. बृजेश शरण शर्मा 2/5/2014

Trustee Shri Niwas Singh

Sig. श्रीनिवास सिंह 2/5/14

Trustee Vijay Pratap Singh

Sig. विजय प्रताप सिंह 2/5/14

Identified By Baij Nath Baitha

बैजनाथ बैठा

Sig. 2/5/14

साक्षी Rekha Singh (रेखा सिंह)

2.5.2014

हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि समाज में स्थायी सुख- शांति, संगठन, सद्भाव एवं विश्वास के साथ गुणों की स्थापना हेतु न्यास की स्थापना की जाये तथा उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक समस्त साधनों का संग्रह **किया जाये। इसके निमित प्रारंभ मुद्रा**– 51,000/–रूपये (एकावन हजार रूपये मात्र) प्रदान करते हैं जो की मैं निष्पादनकर्त्ता आजीवन संस्थापक के रूप में कार्यरत रहेगें।

....

1. न्यास का नाम : **रामानन्द मेमोरियल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट**

2. न्यास का पंजीकृत कार्यालय : ग्राम– हरपुर,
पत्रालय– एकमा
थाना – एकमा, जिला– सारण
841208 {बिहार} भारत

3. न्यास का कार्यक्षेत्र : न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।

4. न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या : न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या कम से कम पॉच और अधिक से अधिक जितने ट्रस्टी सदस्य बना सकेगें।

5. न्यास का गठन :–

क्र0. पिता/ पति का नाम	पता	पद
1. श्रीमती रेखा सिंह पति- श्री संजीव कुमार सिंह	मुहल्ला- हरपुर पोस्ट– हरपुर थाना- एकमा जिला- सारण	संस्थापक सह अध्यक्ष सह न्यासी
2. श्री विजय प्रताप सिंह **पिता– श्री गणेश सिंह**	ग्राम- हरपुर पोस्ट– एकमा थाना- एकमा जिला- सारण	सचिव सह न्यासी

3. श्री ओम कुमार सिंह पिता- स्व0 सुरेन्द्र सिंह	ग्राम- हरपुर पोस्ट– एकमा थाना- एकमा जिला- सारण	कोषाध्यक्ष सह न्यासी
4. श्री ब्रजेश शरण शर्मा पिता- स्व0 शिवनारायण ठाकुर	ग्राम- रीठ पोस्ट– रीठ के टोला थाना- एकमा जिला- सारण	सदस्य सह न्यासी
5. श्री श्रीनिवास सिंह पिता- श्री विरेन्द्र कुमार सिंह	मुहल्ला- गोपेश्वर नगर थाना– भगवान बाजार जिला- सारण	सदस्य सह न्यासी

उपर्युक्त समस्त न्यासी, न्यास की उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्थापक अध्यक्ष के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते हैं।

न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्ण रूप से समाज के उत्थान के लिए होंगे और इसके आय से बिना किसी पक्षपात के सर्व कल्याणार्थ प्रयोग की जाएगी। इसमें कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलत नहीं होगा जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रित हो।

न्यास का ज्ञापन

1. न्यास का नाम : **रामानन्द मेमोरियल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट**
2. न्यास का पंजीकृत कार्यालय : ग्राम– हरपुर, पत्रालय– एकमा, थाना – एकमा, जिला– सारण, 841208 {बिहार} भारत

3 ट्रस्ट का ध्येय एवं उद्देश्य :–

1. ट्रस्ट द्वारा प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय,उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डिग्री महाविद्यालय, कॉन्वेन्ट स्कूल, पब्लिक स्कूल, आवासीय स्कूल आदि की स्थापना कर उसे संचालित करना। आई0 टी0 आई0 (एन0 सी0 वी0 टी0), पारा मेडिकल, इंजिनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक कॉलेज, बी0 एड0 कॉलेज, एम0एड0 कॉलेज, नर्सिंग इन्स्टीच्यूट (ए0 एन0 एम0), आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन इन्स्टीच्यूट, पोलिटेकनिक कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज का संचालन किया जायेगा।

2. ट्रस्ट द्वारा समाज में व्याप्त निरक्षरता के उन्मूलन हेतु शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा। सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान का संचालन किया जायेगा। जिससे मेधावी गरीब छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहित करना एवं उच्चा शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना।

3. समाज के गरीब, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों, आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना।

4. शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को स्वालम्बी बनाने हेतु टंकण कला, आशुलिपि, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक्स, मेडिकल एवं अन्य तकनीकी , गैर तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना।

5. समाज के गरीब, असहाय लड़कियों की शादी सम्पन्न कराना एवं सामुहिक विवाह का आयोजन करना तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल विवाह, वेश्यावृति, दहेज प्रथा, नशाखोरी, सम्प्रदाय वाद इत्यादि की समाप्ति करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, शिविर, पदयात्रा, प्रतियोगितायें आदि का आयोजन करना। आर्दश विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना।

6. प्राकृतिक आपदा एवं अन्य आपातकाल में अनेकानेक जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना। प्राकृतिक प्रकोपों से पीड़ित जन समुदाय को हर संभव सहयोग करना।

7. पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना। लोगों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध कराना।

8. पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संचालन करना। पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन, वितरण एवं संग्रह करना। नाटक, नृत्य, संगीत, वाद्य का प्रशिक्षण देना

9. लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर एवं अन्य स्वस्थ्य शिविर का आयोजन करना। असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टी.वी.,कालाजार,हेपेटाईटिस आदि से बचने हेतु आवश्यक जानकारी देना एवं ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना। अस्पृश्यता निवारण हेतु व्यापक स्तर पर कार्य करना।

10. समाज के गरीब एवं निःसहाय लोगों के आर्थिक, विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोंद्योग, मत्स्यपालन, मधुमक्खीपालन, रेशमकीट पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना।

11. उर्जा के संरक्षण हेतु बायो गैस प्लांट , सौर उर्जा ,उर्जा के गैर पारम्परिक स्रातों की जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना।

12. पंचायती राज, व्यस्क मताधिकार, मानवाधिकार ,उपभोक्ता संरक्षण आदि के बारे में लोगों को जानकारी देना एवं जागरूक करना।

13. नेत्रहीन, मूक बधिर, शारीरिक रूप से विकलांग एवं मानसिक रूप से अर्द्धविकसीत बच्चों, लोगों के शैक्षणिक विकास हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र संचालन करना। उनके लिए कल्याणकारी कार्यों का सम्पादन करना। विकलांगता के रोकथाम हेतु कार्य करना।

14. कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषको का समूह गठित करना तथा कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद वर्मी कम्पोस्ट, सिचाई के उपयुक्त साधन, जलछाजन, जलसंचयन, नलकूप, तालाब, पोखरा आदि उपलब्ध कराना। औषधीय पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।

15. बेसहारा पशुओं की समुचित देख–रेख एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना एवं रक्षा हेतु अभियान चलाना।

16. अनाथ बच्चों, वृद्धों, विधवाओं, वेश्याओं, प्रताड़ित, परित्यक्ता, असहाय लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यों का संचालन करना। उनके लिए आश्रय स्थल, भोजन, शिक्षा,चिकित्सा, आदि उपलब्ध कराना। बाल श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना । उनके उच्च शिक्षा भोजन एवं पुनर्वास, सेवागृह की व्यवस्था करना।

17. महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखि विकास हेतु महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह, पालना गृह, पौष्टिक आहार केन्द्र, महिला सशक्तिकरण आदि कार्यक्रमों का संचालन करना।

18. महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई, पेन्टिंग, मधुबनी पेन्टिग, एपलिक, सौन्दर्य एवं प्रसाधन एवं अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण देना एवं स्वालम्बी बनाने में मदद करना।

19. राष्ट्रीय एकता, आपसी सद्‌भावना, धर्म निरपेक्षता के लिए लोगों को जागरूक करना। जातीय भेद भाव को समाप्त करने हेतु सभी प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना।

20. वरिष्ठ नागरिकों की समस्यों का निदान एवं स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना।

रामानन्द मेमोरियल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट

की

नियमावली

1. परिभाषाएँ

क– न्यास का नाम	"रामानन्द मेमोरियल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट"
ख– न्यास का ट्रस्टी	न्यासकर्त्ता इसके मुख्य न्यासी होगें।
ग– मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी	सचिव इस न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होगें।
घ– पदाधिकारी	अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष न्यास के पदाधिकारी होगें।
ड़– प्रबंध समिति	पदाधिकारी सहित चार अन्य सदस्य प्रबंध समिति के सदस्य होगें।
च– वर्ष	01 अप्रैल से 31 मार्च तक
छ– एक्ट	ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत

2. सदस्यता

ट्रस्ट की सदस्यता के लिए आवेदन संस्थापक/न्यासकर्त्ता/अध्यक्ष के पदनाम आवश्यक सदस्यता शुल्क के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। सदस्यता प्रदान करने के लिए संस्थापक प्रबंध समिति की स्वीकृति अनिवार्य होगी। सदस्यता पाँच प्रकार का होगा–

1. न्यासी सदस्य :– संस्थापक सदस्य न्यासी होंगे। आवश्यकता अनुसार प्रबंध समिति द्वारा अन्य न्यासी का चुनाव या मनोनयन किया जायेगा।

2. साधारण सदस्यः– कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी और सदस्यता शुल्क के रूप में एक मुश्त 1001 रूपये जमा कर प्रबंधन समिति की स्वीकृति से न्यास के साधारण सदस्य हो सकते हैं।

3. आजीवन सदस्यः– कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी और सदस्यता शुल्क के रूप में एक मुश्त 5000 रूपये जमा कर प्रबंधन समिति की स्वीकृति से न्यास के स्थायी सदस्य हो सकते हैं।

4.संस्थापक सदस्यः– जो सदस्य न्यास की स्थपना में सहायता किये हो और जिनका स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर अंकित हो वे संस्थापक सदस्य कहे जायेगें।

सदस्यता की समाप्ति/विमुक्ति

1.स्वयं त्यागपत्र देने पर।

2. दिवालिया या पागल होने पर।

3. न्यास के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने पर।

4. न्यास के नियमों और विनियमों के उल्लंघन करने पर,विपरीत आचरण पर।

5. प्रबंध समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर, निष्काषित करने पर

6. संस्थापक/न्यासकर्त्ता द्वारा निष्काषित करने पर।

न्यास का प्रबंधन

न्यास का प्रबंधन अध्यक्ष/मुख्य न्यासी द्वारा सचिव की सहमति से प्रबंध समिति द्वारा किया जायेगा।

न्यास के उद्देश्य के पूर्ति के लिए न्यास के अधिकार निम्नलिखित होंगे:–

1. दान, चंदा, अनुदान, ऋण, सदस्यता शुल्क, सहयोग राशि, धन, सम्पति, व्यक्ति विशेष, संस्थान, स्वेच्छिक संगठन, न्यास और सरकार से प्राप्त करना और जनहित में कार्यक्रम संचालित करना।

2. समय–समय पर न्यास के कोष/निधि का उपयोग न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु करना।

3. न्यास के सम्पति में वृद्धि करने का उपाय करना और न्यास के निधि का उपयोग शेयर, स्टॉक एवं अन्य जमा पूंजी में निवेश करना या राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर, एच.डी.एफ.सी/आई.सी.आई.सी.आई./मल्टीनेशनल बैंक में खाता खोलकर जमा करना।

4. न्यास की उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजीव गाँधी फाउण्डेशन बैंक,राष्ट्रीय कृत बैंक, नबार्ड, कपार्ट, विश्व बैंक, या एशियन डेवलपमेंट बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन या संगठनों से दान, अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।

5. न्यास के कोष/निधि का उपयोग समाज के उत्थान एवं उनकी कल्याण के कार्यक्रमों में प्रयोग किया जायेगा।

6. न्यास के कोष / निधि से अर्जित चल/अचल सम्पत्ति किराये/लिज/पट्टे पर लेना एवं देना।

7. न्यास के नाम से बचत/चालू/आवर्ती जमा/अनावर्ती/जमा खाता खोलना और न्यास का कोष संचित करना और खाता का संचालन संस्थापक/न्यासकर्त्ता या उनके द्वारा अधिकृत न्यासी के हस्ताक्षर से करना और समय–समय पर संशोधन हेतु बैंक /डाकघर को सूचित करना। बैंक खाता केवल अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के नाम से रहेगा जिसका संचालन एक समय में कम से कम दो के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

8. न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिनिधि/ परामर्श दाता नियुक्त करना/ अधिकृत करना।

9. न्यास की उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूर्ण कालिन/अंशकालिन वैतनिक/अवैतनिक अधिकारियों /लापरवाही के लिए दंडित करना और नियुक्ति रद्द करना।

10. न्यास के उद्देश्य और नियमावली में आवश्यकतानुसार संसोधन करना।

11. किसी अन्य न्यास/ट्रस्ट/संगठन/संस्थान में सम्बद्ध होना, संबद्ध करना और उद्देश्य की पूर्ति करना।

12. न्यास का स्थानान्तरण/हस्तानान्तरण करना या देना।

13. न्यास के सम्पति, कोष/निधि समान उद्देश्य वाले संस्थान/स्वैच्छिक संगठन, न्यास/ट्रस्ट को देना।

14. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार समाज के कल्याणार्थ राज्य/जिला/प्रखण्ड/पंचायत शाखा समिति गठित करना और उद्देश्य के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करना और राज्य/केन्द्र सरकार को कार्यक्रम संचालन में सहयोग प्रदान करना।

15. न्यास के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आय व्यय लेख का अंकेक्षण करना और अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना।

16. न्यास के प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन करना और प्रबंध समिति गठित करना।

17. न्यास के सदस्यों की संख्या कम से कम 5 होगी।

18. संस्थापक न्यासकर्त्ता को अतिरिक्त न्यासी को मनोनित करने का अधिकार होगा। उनका कार्यकाल, कार्यकारिणी समिति द्वारा तय किया जायेगा।

19. प्रबंध समिति को समय–समय पर नियम बनाने परिवर्तन और संशोधन का अधिकार होगा। न्यासी के बैठक में कोरम न्यासी की उपस्थिति से होगा एवं सभी निर्णय संविधान के अन्तर्गत लिए जायेंगे।

5. प्रबंध समिति का गठन :–

न्यासियों द्वारा बहूमत से गठित प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्षो का होगा। आवश्यकतानुसार तीन वर्षो तक प्रबंध समिति का कार्यकाल विस्तारित या नये प्रबंध समिति का गठन होगा।

6. पदाधिकारी के अधिकार और कर्त्तव्यः–

<u>ट्रस्टी अध्यक्ष :–</u>

अध्यक्ष न्यास की एकता का प्रतिक होगा और न्यास की प्रतिष्ठा, सुरक्षा, पवित्रता और समग्रता का प्रहरी होगा। आम सभा, प्रतिनिधि सभा, असाधारण आम सभा, प्रबंध समिति तथा किसी समिति, उप समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और किसी प्रस्ताव पर बराबर मतदान की स्थिति में या विवाद की परिस्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। असमान्य स्थिति में न्यास के आवश्यक कार्यों को सम्पन्न करेगा।

ट्रस्टी सचिव

1. सचिव न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगे।
2. न्यास की ओर से सभी तरह का पत्राचार करना।
3. न्यास के कार्यों की समीक्षा करना।
4. न्यासी एवं प्रबंध समिति की बैठक के लिए सूचना देना।
5. न्यास के लिए अतिरिक्त संसाधन सृजित करना।
6. न्यास के सभी कार्य उनके प्रशासनिक निर्णय के अन्तर्गत हीं किया जायेगा।
7. न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की हैसियत से न्यास के दैनिक प्रशासन से संबंधित सभी लेख पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए सर्वोच्च पदाधिकारी होगें तथा सभी मामलों में एक सर्वत्र अधिकार के अधीन रह कर ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेंगे।
8. न्यास के सभी आलेखों को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना।
9. न्यास के सभी बैठकों का आयोजन करना तथा अध्यक्ष के परामर्श से बैठकों के लिए एजेन्डा/कार्यक्रम बनाना।
10. न्यास के समस्त आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना तथा उनका अंकेक्षण करना एवं वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।
11. न्यास की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देना एवं योजना समितियों/प्रबंध समिति के समक्ष उपस्थति करना तथा न्यास के विकास हेतु देश–विदेश में प्रतिनिधित्व करना।
12. बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों के अनुरूप कार्य संपादित करना/अनुपालन करना।
13. न्यास के कार्यक्रमों, कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति करना या कार्य मुक्त करना।
14. आवश्यक कार्य हेतु प्रबंध समिति की बिना पूर्व स्वीकृति के 10,000/दस हजार रूपये तक खर्च करना।
15. राष्ट्रीय/राज्य/जिला शाखा के कार्यों का पर्वेक्षण करना।

ट्रस्टी कोषाध्यक्ष :–
न्यास के कोष को सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व कोषाध्यक्ष को होगा। अधिक से अधिक पाँच हजार रूपये तक न्यास के कार्यों के लिए कोषाध्यक्ष अपने पास रखेंगे। परन्तु इससे अधिक धनराशि जमा होने पर डाकघर या बैंक (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक) में न्यास के नाम से जमा करना कोषाध्यक्ष का दायित्व होगा। जमा कोष से रूपये कि निकासी ट्रस्टी अध्यक्ष, ट्रस्टी सचिव एवं ट्रस्टी कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारीयों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

प्रबंध समिति के निम्नलिखित अधिकार तथा कार्य होंगे–
(क) न्यास के सभी चल–अचल संपतियों की सुरक्षा एवं सुचारू प्रबंध के लिए उत्तरदायी रहना।

(ख) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आम सभा की स्वीकृति प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

(ग) समान उद्देश्यों की ट्रस्ट , स्वैच्छिक संगठन के साथ सहयोग करने का निर्णय लेना सम्बद्धता प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

(घ) जिला / अनुमण्डल / प्रखण्ड / पंचायत शाखा हेतु व्यय के लिए धन राशि का आवंटन करना।

(ड़) प्रबंध समिति प्रत्येक कार्यवाही का निर्णय न्यास के नियमानुसार करेगी।

(च) सदस्यता के लिए आवेदन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

(छ) किसी सदस्य जिनका चरित्र उद्देश्यों को कुठाराघात पहुँचाता हो उसे सदस्यता से वंचित करना / विमुक्त करना।

(ज) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो भी आवश्यक एवं हितकर हो उसे करेगी।

प्रबंध समिति बैठक–
1. साधारण सभा के लिए कम से कम सात दिन , आसाधरण सभा के लिए तीन दिन और आपातकालीन बैठक के लिए एक दिन पूर्व की सूचना दिया जाना आवश्यक होगा।

2. प्रबंध समिति की अनिवार्य बैठक प्रत्येक तीन महीनें में एक बार होगी।

3. बैठक में कुल सदस्यों की दो तिहाई उपस्थिति को कोरम माना जाएगा।

4. स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु प्रथम सूचना के बाहर कि किसी विषय पर विचार नहीं किया जायेगा।

आम सभा–

प्रबंध समिति द्वारा निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर वार्षिक आम सभा प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी जिसकी पूर्व सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जायेगी। आम सभा के निम्नलिखित कार्य होंगे–

1. पिछली बैठक की कार्यवाही को संपुष्ट करना।
2. वार्षिक प्रतिवेदन का स्वीकृति प्रदान करना।
3. न्यास के कार्यों की समीक्षा करना।
4. अंकेक्षित आय–व्यय लेखा पर विचार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।
5. अंकेक्षक की नियुक्ति करना।
6. आगामी वर्ष के लिए आय–व्यय का बजट तैयार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।
7. आगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित निर्धारित करना।
8. पूर्व सूचना प्राप्त किसी प्रस्ताव पर संस्थापक अध्यक्ष , ट्रस्टी सचिव की अनुमति से विचार करना।

असाधारण बैठक–

संस्थापक अध्यक्ष के द्वारा तीन दिन पूर्व की सूचना पर निम्नांकित अवस्था में असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है।

1. आवश्यकतानुसार संस्थापक अध्यक्ष की सलाह पर।
2. कुल सदस्यों की दो तिहाई सदस्यों के द्वारा बैठक की मांग किये जाने पर।
3. सभा/ बैठक का कार्यप्रणाली का नियम संस्थापक अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार होगा और संस्थापक अध्यक्ष के निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जायेगी।
4. आम सभा के बैठक की सुचना 15 दिन पूर्व दी जायगी।
5. प्रबंध समिति के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायगी।
6. बैठक की सूचना निबंधित डाक, पंजी या विशेष दूत द्वारा दी जायेगी।

मतदान–

साधारण मतदान हाथ उठाकर खुले आम किया जायेगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान भी किया जा सकेगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान हाथ उठाकर खुलेआम किया जायेगा। किसी असाधारण परिस्थिति में प्रबंध समिति की अनुमति लेकर संस्थापक/न्यासकर्त्ता द्वारा मतदान की व्यवस्था हो सकती है।

कार्यकाल–

पदाधिकारियों एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

रिक्त पदों की पूर्ति–

प्रबंध समिति में कोई भी पद किसी भी कारणवश रिक्त हो जाने पर रिक्त पद पर अवशिष्ट कार्यकाल के लिए संस्थापक अध्यक्ष किसी भी अन्य सदस्य का मनोनयन प्रबंध समिति की स्वीकृति से कर सकते हैं।

आय का श्रोत–

न्यास के आय के निम्नलिखित श्रोत होंगे–

क) प्रवेश शुल्क
ख) सदस्यता शुल्क
ग) आजीवन सदस्यता शुल्क
घ) दान एवं चंदा।
ड़) अनुदान
च) ऋण
छ) उत्पादीत वस्तुओं के विक्रय से चेरिटी शो के आयोजन/शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना से।
ज) सम्बद्धता शुल्क एवं अन्य शुल्क
झ) विघटित संस्थान, संस्था एवं न्यास के कोष की प्राप्ति से प्राप्त कर ली जायगी।

निबंधक जब चाहें न्यास का अंकेक्षण कर सकते है। जिसका खर्च न्यास वहन करेगी।

कोरम–

आम सभा /प्रबंध समिति की बैठक का कोरम सदस्य न्यास के 2/3 भाग का होगा।

न्यास के स्मृति पत्र एवं नियमावली में संशोधनः–

न्यास के स्मृति पत्र एवं नियमावली में समावेश एवं संसोधन मुख्य न्यासी द्वारा आम सभा की बैठक में न्यासियों की स्वीकृति से किया जा सकेगा।

कानूनी कार्यवाही:–

किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का क्षेत्राधिकार छपरा व्यवहार न्यायलय होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह **"रामानन्द मेमोरियल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट"** के न्यास–पत्र एवं नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है।

गवाह–

1. बैजनाथ बैठा
पिता स्व० शिवजी बैठा
ग्रा० बालापुर
थाना- भगवान बाजार
2/05/14

2. अजय कुमार त्रिपाठी
पिता स्व० बैद्यनाथ त्रिपाठी
सा० न्यू पोस्टल कॉलोनी
दहियाँवा, छपरा (सारण)
थाना- भगवान बाजार.
2/5/2014

1. Rekha Singh
(रेखा सिंह)
2.5.2014

2. विजय प्रताप सिंह
2/5/14

3. ओम कुमार सिंह
Om Kumar Singh
02/05/14

4. ब्रजेश कुमार शर्मा
2/5/2014

5. श्री निवास सिंह
2/5/14